प्रेस विज्ञप्ति
19/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम, इंदौर के अंतर्गत कार्यरत तत्कालीन बेलदार **असलम खान** के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति से संबंधित जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 18/02/2025 को 1.89 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, इंदौर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, इंदौर द्वारा जांच अवधि (29.07.1998 से 06.08.2018) के दौरान की गई जांच के अनुसार, उनके पास 4.83 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुपातहीन संपत्ति थी।

ईडी की जांच से पता चला कि असलम खान ने विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के रूप में किए गए विभिन्न निवेशों के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को लूटा है।

इससे पहले ईडी की जांच के बाद पहला पीएओ 04/2021 (लगभग 1.39 करोड़ रुपये) जारी किया गया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली ने भी की थी। आगे की जांच की गई और अचल संपत्तियों के रूप में अधिक पीओसी का पता लगाया गया और तदनुसार तत्काल पीएओ के माध्यम से उन्हें संलग्न किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।